न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरनपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना छिम्पा {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 61/2019

1. अवतार सिह पुत्र लाभ सिह जाति जटसिख निवासी मलकानाखुर्द तहसील श्रीकरणपुर।

बनाम

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर।

अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

--निर्णय--

दिनांक : 14/8/2019

सक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा तहसीलदार श्रीकरणपुर को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की चक 1 एस के मु0 नं0 21 की 25 बीघा, 23 की 25 बीघा, 33 की 22 बीघा, 35 की 17 बीघा, 24 की 25 बीघा भूमि की अन्तर राशि भरवाई जावे। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध मे तहसीलदार श्रीकरणपुर के द्वारा रिपोर्ट भिजवाई गई। रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के द्वारा चक 1 एस के मु0 नं0 35 की 17 बीघा, 33 की 22 बीघा, 23 की 25 बीघा तथा 24 का 25 बीघा कुल 89.00 बीघा रकवा जमाबंदी मे बारानी दर्ज है। अधिशाषी अभियन्ता गगंनहर उत्तरखण्ड की रिपोर्ट के अनुसार उक्त रकबे की अस्थाई बारी बंधी हुई जो दिनांक 01.04.1981 से स्थाई हो चुकी है। जमाबंदी मे दर्ज अनकमाण्ड/बारानी को नहरी दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र मे नाम अवतार सिह पुत्र लाभ सिह अंकित है। सैल रजिस्टर मे नाम अवतार सिह पुत्र मंगल सिह के नाम से भूमि आवंटित है।

पटवारी रिपोर्ट के अनुसार :-

1. चक 1 एस के मु0 नं0 23 के किला नं0 1 से 13/1 कुल 3.162 हैक्टर बारानी भूमि, खाता संख्या 4/7 मे आत्मा सिह पुत्र लाभ सिह के नाम दर्ज है।
2. चक 1 एस के मु0 नं0 23 के किला नं0 13/2 से 25 की कुल 3.162 हैक्टर बारानी भूमि, खाता संख्या 58/61 मे परमात्मा सिह पुत्र लाभ सिह के नाम दर्ज है।
3. चक 1 एस के मु0 नं0 24 के किला नं0 1 से 13/1 की कुल 3.162 हैक्टर बारानी भूमि, खाता संख्या 21/22 मे खुशविन्द्र सिह पुत्र अवतार सिह के नाम दर्ज है।
4. चक 1 एस के मु0 नं0 24 के किला नं0 13/2 से 25 की कुल 3.162 हैक्टर बारानी भूमि, खाता संख्या 910/90 मे यादविन्द्र सिह पुत्र अवतार सिह के नाम दर्ज है।
5. चक 1 एस के मु0 नं0 33 के किला नं0 1 से 3,8 से 10,12,13,19,22 की कुल 2.530 हैक्टर बारानी भूमि, खाता संख्या 91/90 मे यादविन्द्र सिह पुत्र अवतार सिह के नाम दर्ज है।
6. चक 1 एस के मु0 33 के किला नं0 4 से 7, 14 से 18, 23 से 25 की कुल 3.036 हैक्टर बारानी भूमि, खाता संख्या 58/61 मे परमात्मा सिह पुत्र लाभ सिह के नाम दर्ज है।
7. चक 1 एस के मु. नं. 33 के किला नं0 11,12,21 की कुल 0.759 हैक्टर नहरी भूमि खाता संख्या 103/100 मे सतनाम सिह पुत्र मेजर सिह पुत्र भूरा सिह के नाम दर्ज है।
8. चक 1 एस के मु0 नं0 35 के किला नं0 1 से 9 की कुल 2.138 हैक्टर बारानी भूमि, खाता संख्या 19/75 मे कुलविन्द्र सिह पुत्र रणजीत सिह आदि के नाम साझा खाता मे दर्ज है।
9. चक 1 एस के मु0 नं0 35 के किला नं0 9/2 से 15, 19 से 20 की कुल 2.163 हैक्टर बारानी भूमि, खाता संख्या 18/19 मे कुलविन्द्र सिह पुत्र रणजीत सिह के नाम दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

10. चक 1 एस के मु0 नं0 35 के किला नं0 16 से 18, 23 से 25 की कुल 1.518 हैक्टर बारानी भूमि, खाता संख्या 20/17 मे कुलविन्द्र सिह पुत्र रणजीत सिह के नाम दर्ज है।

11. चक 1 एस के मु.नं. 35 की किला नं0 21,22 की कुल 0.506 हैक्टर बारानी भूमि व खाता संख्या 92/91 मे रतन सिह पुत्र जग्गा सिह के नाम सयुक्त खाता मे रतन सिह पुत्र जग्गा सिह के नाम साझा खाता मे दर्ज है।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत चक 1 एस की जमाबंदी सम्वत 2016 ता 19 के मु0 नं0 23 के किला नं0 1 से 25, मु0 नं0 24 के किला नं0 1 से 25 कुल 50 बीघा बारानी भूमि राष्ट्रपति भारत सरकार के आवंटी सोहन सिह जाति रायसिख अलाटी बतौर रिफ्वयूजी दर्ज है। मु0 नं0 33 के किला नं0 1 से 19, 22 से 25 की कुल 22 बीघा भूमि सुहावा सिह पुत्र धूम सिह जाति रायसिख अलांटी राष्ट्रपति भारत सरकार दर्ज है। मु0 नं0 35 के किला नं0 1 से 15, 19 से 20 कुल 17 बीघा रकबा अमर सिह,प्रेम सिह पिसरान छज्जू सिह जाति रायसिख अलाटी बतौर रिफ्युजी राष्ट्रपति भारत सरकार दर्ज है, जिसकी सनद डी.पी. एक्ट के अन्तर्गत जारी होकर खातेदारी दर्ज हो चुकी है। <u>प्रश्नगत बारानी भूमि पुनर्वास विभाग द्वारा आवंटित है। पुनर्वास विभाग द्वारा आवंटित बारानी भूमि नहरी होने पर कस्टोडियन नियमो मे अन्तर राशि वसूल करने योग्य नही है।</u>

सीसीए रिपोर्ट के अनुसार चक 1 एस के मु0 नं0 23 की 25 बीघा, मु0 नं0 24 की 25 बीघा, मु0 35 की 25 बीघा का सीसीए शून्य है। मु0 नं0 33 मे 3 बीघा भूमि कमाण्ड तथा 22 बीघा भूमि अनकमाण्ड है। इस प्रकार कुल 97 बीघा रकबा अनकमाण्ड है। इसमे से मु0 नं0 23 के 25 बीघा, मु0 नं0 24 की 25 बीघा व मु0 नं0 35 की 17 बीघा की अस्थाई बारी दिनांक 11.08.1980 से बधी है जिससे दिनांक 01.04.1981 से स्थाई कर दिया गया है। इसी प्रकार मु0 नं0 33 के 22 बीघा की अस्थाई बारी दिनांक 02.08.1980 से बंधी है जिसे दिनांक 01.04.1981 से स्थाई किया गया है।

खातेदारो को कस्टोडियन का बारानी रकबा आवंटन है जिसमे राज्य सरकार राजस्व (उपनिवेशन) विभाग के आदेश क्रमांक प-7(7)उप./2005/जयपुर दिनांक 25.08.2007 के अनुसार अन्तर राशि वसूल योग्य नही है अर्थात कोई राशि बकाया नही है। रकबे को स्थाई पानी दिया जा रहा है। सिचाई विभाग को सीसीए मे शामिल करने तथा जमाबंदी मे रकबा नहरी दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृप्या करे। रकबा सीलिंग से प्रभावित नही है न ही कोई स्थगन या विवाद है। राजस्व रिकार्ड, खसरा गिरदावरी के अनुसार भी उक्त रकबा नहर के पानी द्वारा मौका पर सिचिंत है।

तहसीलदार श्रीकरणपुर के द्वारा अपनी रिपोर्ट मे यह भी अंकित किया है कि चक 1 एस के मु0 नं0 21 की 25 बीघा बारानी भूमि अवतार सिह पुत्र मंगल सिह को आवंटन है जिसका पानी स्वीकृत है। यह भूमि वर्तमान जमाबंदी मे राजविन्द्र सिह पुत्र अवतार सिह के नाम खातेदारी दर्ज है इस भूमि की अधिशाषी अभियन्ता गंगनहर उत्तरखण्ड की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 11.08.1980 से पानी की अस्थाई बारी बंधी है जो दिनांक 01.04.1981 से स्थाई हो चुकी है। सैल रजिस्टर के खाता संख्या 4 के/178 के अनुसार दिनांक 20.07.1974 से अवतार सिह पुत्र मंगल सिह को 250 रूपये प्रति बीघा की दर से आवंटित हुई थी जिसकी अन्तर राशि 1225-250 = 975 रूपये X 25 बीघा = कुल राशि 24375 रूपये जमा करवाने की स्वीकृति प्रदान करे। प्रार्थना पत्र मे नाम अवतार सिह पुत्र लाभ सिह अंकित है जबकि सैल रजिस्टर मे अवतार सिह पुत्र मंगल सिह नाम अंकित है।

रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर मे अंकित अनुसार प्रश्नगत भूमि का आवंटन अवतार सिह पुत्र मंगल सिह के नाम से दर्ज है जबकि प्रार्थना पत्र अवतार सिह पुत्र लाभ सिह के नाम से पेश किया गया है जिसके संबंध मे प्रार्थी को नोटिस जारी कर पहचान संबंधी दस्तावेज चाहे गये। प्रार्थी के द्वारा जवाब नोटिस पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण मे चक 1 एस के मु0 नं0 21 की 25 बीघा बारानी भूमि अवतार सिह पुत्र मंगल सिह को आवंटित हुई थी। यह भूमि राजविन्द्र सिह पुत्र अवतार सिह जाति जटसिख निवासी मलकाखुर्द के द्वारा जिला कलक्टर श्रीगंगानगर से स्वीकृति

उपखण्ड अधिकारी (राज.)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

आदेश एफ12(11)643 दिनांक 03.04.1991 के संबंध मे जरिये बैयनामा द्वारा खरीद की गई थी। इस संबंध मे प्रार्थना पत्र अवतार सिह पुत्र लाभ सिह के द्वारा पेश किया गया है।

प्रकरण से संबंधित भुमि को बारानी से नहरी दर्ज करने बाबत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेज श्रीमान् जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को भिजवाये गये। श्रीमान् जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के द्वारा अपने पत्र क्रमांक डीआरए/2017/1630 दिनांक 13.06.2018 से इस आदेश से वापिस भिजवाया कि प्रकरण गंगनहर परियोजना क्षेत्र में आवंटन एवं विक्रय का है जो कि आपके क्षेत्राधिकार का होने के कारण वापिस लौटाया जा रहा है। इसका नियमानुसार निस्तारण किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर चक 1 एस के मु0 नं0 35 के 17 बीघा, मु0 नं0 33 के 22 बीघा, मु0 नं0 23 की 25 बीघा, मु0 नं0 24 के 25 बीघा एवं मु0 नं0 21 के 25 बीघा भूमि की अन्तर राशि जमा करवाकर बारानी से नहरी दर्ज किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार इस भूमि की पानी की बारी अस्थाई बारी बंधी हुई है जो दिनांक 01.04.1981 से स्थाई की जा चुकी है। इस भूमि मे मु0 नं0 35 के 17 बीघा, मु0 नं0 33 के 22 बीघा, मु0 नं0 23 की 25 बीघा, मु0 नं0 24 के 25 बीघा कुल 89 बीघा भूमि कस्टोडियन का बारानी रकबा आवंटन है जिसमे राज्य सरकार राजस्व (उपनिवेशन) विभाग के आदेश क्रमांक प-7(7)उप./2005/जयपुर दिनांक 25.08.2007 के अनुसार अन्तर राशि वसूल योग्य नही है। मु0 नं0 21 की 25 बीघा भूमि सैल रजिस्टर के अनुसार खाता संख्या 4 के/178 आदेश दिनांक 20.07.1974 से अवतार सिह पुत्र मंगल सिह को 250 रूपये प्रति बीघा की दर से आवंटित हुई थी,जिसकी अन्तर राशि 1225-250 = 975 रूपये X 25 बीघा = कुल राशि 24375 रूपये जमा होने है जिसकी स्वीकृति प्रदान की जावे। रकबा सीलिंग से प्रभावित नही है न ही कोई स्थगन या विवाद है। राजस्व रिकार्ड खसरा गिरदावरी के अनुसार भी उक्त रकबा नहर के पानी द्वारा मौका पर सिचित है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत तथा रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 1 एस की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 के मु0 नं0 23,24 सालम, मु0 नं0 33 के किला नं0 1 ता 10, किला नं0 12 ता 19, किला नं0 22 ता 25 (22 बीघा) मु0 नं0 35 के किला नं0 1 ता 15, किला नं0 19,20, (17बीघा) को राजस्व रिकार्ड मे बारानी से नहरी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं चक 1 एस के मु0 नं0 21 के 25 बीघा भूमि के संबंध मे इस भूमि को बारानी से नहरी दर्ज करने बावत देय अन्तर राशि 24375 रूपये राजकोष मे जमा करवाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस राशि के जमा होने के उपरान्त इस चक 1 एस के मु0 नं0 21 की 25 बीघा भूमि को राजस्व रिकार्ड मे बारानी से नहरी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। आदेश इस आशय का जारी हो। आदेश की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/8/2019....को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

{श्रीमती रीना छिम्पा आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner